रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2246] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 28, 2010/कार्तिक 6, 1932
No. 2246] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 28, 2010/KARTIKA 6, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2010

का.आ. 2662(अ).—जबकि केन्द्रीय सरकार ने मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 22-1-2009 की अधिसूचना सं. का.आ. 263(अ) और दिनांक 1-10-2009 की अधिसूचना सं. 2517(अ) के तहत मैसर्स पी.बी.एल. ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन प्रा. लि., गुडगांव के 6 हाइड्रोलिक सस्पेंशन ट्रेलरों के संबंध में प्रति धुरी भार, सकल यान भार (जीबीडब्ल्यू) और आयाम में छूट की अनुमति प्रदान की थी ।

और जबकि उड़ीसा में अपने वाहन चलाते समय उक्त अधिसूचनाओं में उल्लिखित विभिन्न शर्तों का अनुपालन न किए जाने के कारण कंपनी को काली सूची में रखे जाने के लिए उड़ीसा सरकार से दिनांक 23-2-2010 को एक अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

और इस मंत्रालय के दिनांक 25-3-2010 के पत्र में कंपनी से स्पष्टीकरण मांगा गया ।

और दिनांक 13-4-2010 के अपने पत्र में कंपनी ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया ।

और कंपनी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर दिनांक 10-6-2010 को उड़ीसा सरकार से टिप्पणियां मांगी गई थीं ।

और दिनांक 12-8-2010 को उड़ीसा सरकार ने अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर दीं जो इस प्रकार हैं :-

(i) दिनांक 23-11-2009 को राज्य परिवहन प्राधिकरण से अनुमति प्राप्त करने के लिए कंपनी ने दिनांक 11-11-2009 को दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत की थी ।

(ii) कंपनी ने माल के भार और वाहनों की चेसिस संख्या में विसंगति के संबंध में दस्तावेजी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया है ।

(iii) दिनांक 26-11-2009 को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक अनुमति प्रदान की गई ।

(iv) ट्रांसपोर्टर ने उस मार्ग जिसके लिए अनुमति प्रदान की गई थी, के प्रतिकूल भिन्न मार्ग पर ट्रैक्टर और ट्रेलर संयोजन का प्रचालन किया ।

(v) कंपनी द्वारा माल के भार का मान्य दस्तावेजी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया ।

(vi) कंपनी ने भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना में यथा अपेक्षित कोई पूर्व अनुमति राज्य परिवहन प्राधिकरण से नहीं ली और अनुमति लिए बिना ही कंपनी के वाहनों ने उड़ीसा में प्रवेश किया और वाहन संयोजनों में माल ढोया ।

(vii) कंपनी को काली सूची में रखे जाने के और उसे अपने मोड्यूलर बहुधुरीय हाइड्रोलिक सस्पेंशन ट्रेलरों जिनके लिए भारत सरकार द्वारा अनुमति प्रदान की गई है, में माल ले जाने से रोकने के अपने पिछले निर्णय को दोहराया गया ।

राज्य सरकार की टिप्पणियों पर विचार करते हुए भारत सरकार द्वारा दिनांक 22-1-2009 और दिनांक 1-10-2009 की उक्त अधिसूचनाओं में कंपनी को प्रदान की गई छूट वापस लिए जाने का निर्णय लिया गया है ।

[फा. सं. आरटी-11012/10/09-एमवीएल]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2010

S.O. 2662(E).—Whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government *vide* Gazette notifications No. S.O. 263(E) dated 22nd January, 2009 and No. 2517(E) dated 1-10-09 had allowed relaxation/exemption in per axle load, GVW and dimension in respect of six hydraulic suspension trailers of M/s. P.B.L. Transport Corporation Pvt. Ltd., Gurgaon.

And whereas a request dated 23-2-10 has been received from Govt. of Orissa for black listing the Company due to non compliance of various conditions contained in the aforesaid notifications while plying their vehicles in the State of Orissa.

And the Company's explanation were sought in this Ministry's letter dated 25-3-10.

And the Company submitted their explanation in their letter dated 13-4-10.

And the comments of Govt. of Orissa were sought on 10-6-10 on the explanation given by the Company.

And Govt. of Orissa submitted their comments on 12-8-10 as under:—

(i) Company submitted the photocopy of the documents on 11-11-09 for getting the permission from State Transport Authority on 23-11-09.

(ii) Company has not submitted the documentary evidence with regard to weight of the consignment and discrepancy of chassis number of vehicles.

(iii) Necessary permission was given by the State Govt. on 26-11-09.

(iv) The transporter plied the tractor and trailer combination on different route contravening the route for which the permission was granted.

(v) Valid documentary evidence of the weight of the consignment was not submitted by the Company.

(vi) Company's vehicles entered into Orissa and transported the goods on combination without taking prior permission from the State Transport Authority as contemplated in the notification issued by the Govt. of India.

(vii) Reiterated their previous decision for blacklisting the Company and to debar it from transporting consignments in its modular multi axle hydraulic suspension trailers for which permission has been granted by Govt. of India.

And after considering the comments of the State Govt., it has been decided by Govt. of India to withdraw the exemption granted to the Company in the aforesaid notifications dated 22-1-09 and 1-10-09.

[F. No. RT-11012/10/09-MVL]

SAROJ KUMAR DASH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.